



राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर



क्रमांक.सं.3-6(12)स्था./पदो./मंत्रा/अभि/20/3168 जयपुर दिनांक:- 31/03/23
- 80

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंका पर श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र लाल शर्मा के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण एफ.आई.आर संख्या 88/2019 थाना महिला पुलिस थाना बांसवाडा, धारा 498ए भा.द.सं. में प्रकरण न्यायालय एसीजेएम, बांसवाडा में विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति का निर्णय उक्त प्रकरण के निर्णयाधीन सीलकवर लिफाफे में रखा गया था, वर्तमान में न्यायालय एसीजेएम, बांसवाडा द्वारा निर्णय दिनांक 17.02.2022 में श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र लाल शर्मा को उक्त प्रकरण में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने पर श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र लाल शर्मा को वर्ष 2020-21 में उपलब्ध रिक्ति की दिनांक 01.04.2020 की रिक्तियों के विरुद्ध, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मैट्रिक्स लेवल एल-(8) में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता वरिष्ठ सहायक के पद पर श्री महेन्द्र कुमार शारदा पुत्र श्री बद्रीलाल के नीचे व श्री वीरभद्र सिंह राठौड़ पुत्र स्व.श्री बलबहादुर सिंह के ऊपर रहेगी।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव ,निदेशक अभियोजन ।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर ।
4. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन
5. संस्थापन अधिकारी ,अभियोजन निदेशालय जयपुर ।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा :-सहायक निदेशक अभियोजन
7. निजी पत्रावली /रक्षित पत्रावली संस्थापन शाखा (वरिष्ठ मंत्रालयिक),अभियोजन निदेशालय जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rav Sharma
Designation: Director
Date: 2023.03.31 17:45:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3528263

